राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ.4( )परावि/आप्र./बी.आर.जी.एफ./क्ष.नि. 2012–13/396 जयपुर, दिनांकः 9 मई, 2013

:: प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ::

भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों में फर्नीचर की व्यवस्था के लिये बी.आर.जी.एफ. कार्यक्रम के तहत चयनित सभी 13 जिलों की 3276 ग्राम पंचायतों को प्रति ग्राम पंचायत राशि रूपये 20000.00, कुल राशि रूपये 655.20 लाख हस्तान्तरित करने हेतु समसंख्य प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 411 दिनांक 13.06.2012 जारी की गई थी।

उक्त स्वीकृति अनुसार ग्राम पंचायतों को यह राशि बी.आर.जी.एफ. कार्यक्रम की क्षमता निर्माण योजना वर्ष 2007–10 एवं 2011–12 के तहत इन्दिरा गांधी पंचायती राज संस्थान को हस्तान्तरित की गई राशि में से उपलबध करवाई जानी थी परन्तु संस्थान द्वारा उनके खातो में अवशेष राशि को दृष्टिगत रखते हुए 2331 ग्राम पंचायतों को राशि रूपये 466.20 लाख ही हस्तान्तरित करवाई गई।

उपरोक्तानुसार अवशेष रही 945 ग्राम पंचायतों को प्रति ग्राम पंचायत राशि रूपये 20000.00 उपलब्ध करवाया जाना है। अतः तद्नुसार अवशेष 945 ग्राम पंचायतों को संलग्न विवरण अनुसार प्रति ग्राम पंचायत राशि रूपये 20000.00 हस्तान्तरण करने हेतु पंचायती राज मुख्यालय पर संधारित बी.आर.जी.एफ. बैंक खाता संख्या 61179878181 से राशि रूपये 189.00 लाख (अक्षरे रूपये एक करोड़ निवासी लाख मात्र) आहरण करने एवं बैंक आफ बड़ौदा, नेहरू पेलेस शांखा जयपुर को सम्बन्धित ग्राम पंचायतों में हस्तान्तरण हेतु अन्तरित करने की एतद् द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

स्वीकृत राशि का उपयोग पूर्व स्वीकृति में उल्लेखित शर्तो के अध्यधीन ही किया जावेगा, जो निम्नानुसार हैः–

1. राशि का उपयोग ग्राम पंचायत स्तरीय राजीव गांधी सेवा केन्द्रों में फर्नीचर की उपलब्धता हेतु किया जावेगा। फर्नीचर के क्रय की प्रक्रिया, अतिरिक्त राशि की व्यवस्था (यदि आवश्यक हो) आदि के संबंध में समुचित दिशा–निर्देश/कार्यवाही आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस द्वारा की जावेगी।

2. जिले को उपलब्ध होने वाली राशि का उपयोग करने के उपरान्त सम्बन्धित जिला कार्यक्रम समन्वयक –नरेगा एवं जिला कलक्टर द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र जिले के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी को उपलब्ध करवाया जावेगा।

3. बी.आर.जी.एफ. कार्यक्रम के तहत आगामी किश्त राशि राशि प्राप्त करने के लिये पूर्व में उपलब्ध करवाई गई राशि का व्यय किया जाना आवश्यक है। अतः इस प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के तहत उपलब्ध करवाई जा रही राशि का अविलम्ब उपयोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावेगा।

4. उक्त स्वीकृति के क्रम में बी.आर.जी.एफ. कार्यक्रम के तहत गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।

संलग्नः परिशिष्ट 1 एवं 2

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
5. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
7. शासन सचिव एवं आयुक्त, ईजीएस, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
8. जिला कार्यक्रम समन्वयक–बांसवाड़ा, चित्तोड़गढ़, डूंगरपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, करौली प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, टोंक एवं उदयपुर।
9. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
10. परियोजना निदेशक एवं शासन उप सचिव, ईजीएस, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
11. आहरण एवं वितरण अधिकारी, विभाग मुख्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. चीफ मैनेजर/ब्रान्च मैनेजर बेंक आफ बड़ौदा, नेहरू पेलेस, टोंक रोड़ को संलग्न सारणी प्रेषित कर लेख है कि आपके बैंक एवं आपके द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में स्थित जिला ग्राम पंचायतों के खातों में उनके नाम के सम्मुख अंकित राशि सम्बन्धित खातों में अन्तरित करवाने (अन्तरित नही होने की स्थिति में डिमान्ड ड्राफ्ट बनाने की) की एक कार्य दिवस में व्यवस्था करावें तथा विभाग को अविलम्ब सूचित करें। संलग्न सारणियों के अनुसार खाता संख्या संबंधित ग्राम पंचायत का ही है इसकी पुष्टि उपरान्त ही राशि का अन्तरण किया जावे। गलत खाते में अन्तरण नहीं हो इसका ध्यान रखा जावे। यदि किसी भी स्थानीय निकाय के नाम में अथवा बैंक ब्रान्च खाता संख्या में ऐसी कोई भिन्नता आती है जिसके कारणवश राशि का अन्तरण संबंधित निकायों के खातों में किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा हो तो ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होने पर अविलम्ब ऐसे निकायों के नाम मय पंचायत समिति एवं जिला परिषद् तथा बैंक खाता संख्या मय ब्रान्च उप शासन सचिव (जिला आयोजना) पंचायती राज को पत्र/विशेषवाहक के माध्यम से प्रेषित करने का भी श्रम करावें। उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया में किसी भी बैंक को राशि के हस्तान्तरण करने अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट जारी करने इत्यादि पर किसी भी तरह का कोई कमीशन/सर्विस चार्ज आदि देय नहीं होगा।
13. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, बांसवाड़ा, चित्तोड़गढ़, डूंगरपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, करौली प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, टोंक एवं उदयपुर को भिजवाकर लेख है कि राशि के जमा होने की पुष्टि के साथ ही इस स्वीकृति की प्रति सबन्धित ग्राम पंचायत/पंचायत समिति को भिजवायें एवं राशि के व्यय हेतु आवश्यक कार्यवाही करावें।
14. प्रोग्रामर, पंचायती राज विभाग को उक्त स्वीकृति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।
15. सांख्यिकी/अंकमिलान/संकलन/रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव
जिला आयोजना

परिशिष्ट 1

राजीव गांधी सेवा केन्द्रों में फर्नीचर उपलब्ध करवाने हेतु बी.आर.जी.एफ. कार्यक्रम से अवशेष 945 ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित की जाने वाली राशि (20000.00 प्रति ग्राम पंचायत) का जिलेवार विवरण

क्र.सं.	जिला	कुल ग्राम पंचायतों की संख्या	पूर्व स्वीकृति अनुसार लाभान्वित ग्राम पंचायतों की संख्या	अवशेष ग्राम पंचायतों की संख्या	राशि लाख रूपये
1.	बांसवाड़ा	307	162	145	29.00
2.	बाड़मेर	380	380	0	0.00
3.	चित्तौड़गढ़	288	202	86	17.20
4.	डूंगरपुर	237	71	166	33.20
5.	जैसलमेर	128	106	22	4.40
6.	जालौर	264	240	24	4.80
7.	झालावाड़	252	249	3	0.60
8.	करौली	223	104	119	23.80
9.	प्रतापगढ़	152	107	45	9.00
10.	सवाई माधोपुर	197	91	106	21.20
11.	सिरोही	151	151	0	0.00
12.	टोंक	230	159	71	14.20
13.	उदयपुर	467	309	158	31.60
	योग	3276	2331	945	189.00